



## उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड / पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड

पशुधन भवन द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड,  
पो-मोथरोवाला, देहरादून -248001, फोन नं०-0135-2532619

### पशुधन बीमा योजना

#### (National Livestock Mission-Risk Management & Insurance)

यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाना है। एक पशुपालक के अधिकतम 5 बड़े पशुओं (दुधारू गाय/भैंस, चैक एनिमल यथा घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊट, टट्टू /अन्य पशुओं याक एवं मिथुन) अथवा 5 यूनिट छोटे पशुओं यथा-भेड़, बकरी, सुअर या खरगोश (एक यूनिट = 10 छोटे पशु) के बीमा का प्राविधान है। बीमा प्रीमियम में भारत सरकार/राज्य सरकार/लाभार्थी का अंशदान निम्नवत् है-

क्षेत्र	बीमा अवधि	एपीएल लाभार्थी के पशुओं के बीमा प्रीमियम (अंशदान % में)			बीपीएल/एससी/एसटी लाभार्थी के पशुओं के बीमा प्रीमियम (अंशदान % में)		
		लाभार्थी	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी	केन्द्रांश	राज्यांश
सामान्य क्षेत्र	1 वर्ष	50	25	25	30	40	30
	3 वर्ष	50	25	25	30	40	30
पर्वतीय क्षेत्र	1 वर्ष	40	35	25	20	50	30
	3 वर्ष	40	35	25	20	50	30

**कार्यान्वयन एजेन्सी :** उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून / पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

**आच्छादित जनपद :** उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपद आच्छादित है।

**बीमा प्रीमियम दरें :** एक वर्ष के लिए 2.93 प्रतिशत एवं तीन वर्ष हेतु 7.42 प्रतिशत (पी.टी.डी. सम्मिलित नहीं)

एक वर्ष के लिए 3.20 प्रतिशत एवं तीन वर्ष के लिए 7.50 प्रतिशत (पी.टी.डी. सम्मिलित)

**बीमा प्रीमियम की गणना :** बीमा प्रीमियम की गणना हेतु एक यूनिट पशु का मूल्य ₹50,000.00 को आधार मानते हुए लाभार्थी द्वारा देय प्रीमियम धनराशि निम्नवत् होगी-

लाभार्थी का विवरण	क्षेत्र	विवरण	बीमा अवधि	पशु का मूल्य (₹ में)	बीमा प्रीमियम प्रतिशत	कुल बीमा प्रीमियम धनराशि (₹ में)	लाभार्थी द्वारा देय बीमा प्रीमियम अंशदान एवं जीएसटी (₹ में)			
							लाभार्थी का अंश	बीमा प्रीमियम धनराशि	जीएसटी	कुल देय धनराशि
ए.पी.एल. लाभार्थी	मैदानी क्षेत्र	पी.टी.डी. सम्मिलित नहीं	1 वर्ष	50000	2.93%	1465.00	50%	732.50	-	732.50
			3 वर्ष	50000	7.42%	3710.00	50%	1855.00	-	1855.00
		पी.टी.डी. सम्मिलित	1 वर्ष	50000	3.20%	1600.00	50%	800.00	-	800.00
			3 वर्ष	50000	7.50%	3750.00	50%	1875.00	-	1875.00
	पर्वतीय क्षेत्र	पी.टी.डी. सम्मिलित नहीं	1 वर्ष	50000	2.93%	1465.00	40%	586.00	-	586.00
			3 वर्ष	50000	7.42%	3710.00	40%	1484.00	-	1484.00
		पी.टी.डी. सम्मिलित	1 वर्ष	50000	3.20%	1600.00	40%	640.00	-	640.00
			3 वर्ष	50000	7.50%	3750.00	40%	1500.00	-	1500.00
बी.पी.एल./एस.सी./एस.टी. लाभार्थी	मैदानी क्षेत्र	पी.टी.डी. सम्मिलित नहीं	1 वर्ष	50000	2.93%	1465.00	30%	439.50	-	439.50
			3 वर्ष	50000	7.42%	3710.00	30%	1113.00	-	1113.00
		पी.टी.डी. सम्मिलित	1 वर्ष	50000	3.20%	1600.00	30%	480.00	-	480.00
			3 वर्ष	50000	7.50%	3750.00	30%	1125.00	-	1125.00
	पर्वतीय क्षेत्र	पी.टी.डी. सम्मिलित नहीं	1 वर्ष	50000	2.93%	1465.00	20%	293.00	-	293.00
			3 वर्ष	50000	7.42%	3710.00	20%	742.00	-	742.00
		पी.टी.डी. सम्मिलित	1 वर्ष	50000	3.20%	1600.00	20%	320.00	-	320.00
			3 वर्ष	50000	7.50%	3750.00	20%	750.00	-	750.00

**पी.टी.डी. = परमानेंट टोटल डिसएबिलिटी**

**योजना का क्रियान्वयन-यू.एल.डी.बी./पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साधिकारियों, बीमा कम्पनी- दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० देहरादून एवं हिन्दुस्तान इन्श्योरेंस ब्रोकर्स लि० द्वारा किया जा रहा है।**

सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारियों (विभाग में कार्यरत राजकीय पशुचिकित्साधिकारी एवं डेरी विभाग/दुग्ध संघों में कार्यरत पशुचिकित्सक) द्वारा बीमा कराये जा रहे पशुओं की पॉली यूरेथिन लेजर प्रिन्टेड टैग द्वारा टैगिंग, बाजार मूल्य, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पशु बीमा क्लेम हेतु वांछित प्रमाण पत्र यथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/शवविच्छेदन रिपोर्ट निर्गत करने पर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हेतु ₹50.00 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु ₹125.00 यू.एल.डी.बी. द्वारा मानदेय देय होगा।

पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा 24 घंटे के अन्दर आवश्यक रूप से मृत्यु की सूचना दूरभाष व अन्य साधनों द्वारा बीमा कम्पनी को देना होगा और सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी मृत पशु का टैग सहित कान एवं पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा बीमा क्लेम फार्म आदि अविलम्ब बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायेगा।

**विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क कार्यालय :**

**कार्यदायी संस्था :** यू.एल.डी.बी. देहरादून, दूरभाष/फैक्स नम्बर - 0135 -2532619

**बीमा कम्पनी :** दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० देहरादून एवं हिन्दुस्तान इन्श्योरेंस ब्रोकर्स लि०-

दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० देहरादून- 0135-2746278, 2746279, 6453412-416 फैक्स: 0135-2746288

श्री डी.एन. सकरवाल (मैनेजर मार्केटिंग)- 9634418411

हिन्दुस्तान इन्श्योरेंस ब्रोकर्स लि० (एच.आई.बी.एल.)- 011-32959685, 23520350, 23520351, 23530353,

श्री दीपक कुमार सिंघल (प्रिंसिपल आफिसर, एच.आई.बी.एल.) - 09810426040

**जनपद स्तरीय :**

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार, दूरभाष नम्बर - 01334- 239978, 239034

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून दूरभाष नम्बर - 0135-2712572

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ दूरभाष नम्बर - 05964-225319

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अल्मोडा दूरभाष नम्बर - 05962-232289

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चम्पावत दूरभाष नम्बर - 05965-230843

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग दूरभाष नम्बर - 01364-233251/233019

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल दूरभाष नम्बर - 01378-227296/227687

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उधमसिंह नगर, दूरभाष नम्बर - 05944-242787

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल दूरभाष नम्बर - 05942-248367

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली दूरभाष नम्बर - 01372-252273

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर दूरभाष नम्बर - 05963-221475

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी दूरभाष नम्बर - 01368-223084

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी दूरभाष नम्बर - 01374-222320/224816

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी.